167 समक्ष माननीय न्यायालय राजस्वमण्डल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

निग्र0/0प्र0क्र0 निग 3044-I-16

बृजेश कुमार खरे पटवारी हल्का मामौन तह0 टीकमगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

..निगरानीकर्ता

बनाम

1.मलके दास तनय नन्ना यादव

2.रामबगस तनय नन्ना यादव

3.कल्ला तनय नन्ना यादव

समस्त निवासी ग्राम अटरिया तह.वजिला टीकमगढ म.प्र

4.म0प्र0शासन

..प्रति निगरानीकर्ता

श्री मनय श्रीवास्तव, अधि0 द्वारा 6-9-16 प्रस्तुत

6-9 निगरानी प्रस्तुत न्यायालय अपरकलेक्टर टीकमगढ के न्यायालयीन प्र0क्र0 74/बी.121-2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 28/7/2016 के अंतिम पैराग्राफ के विरूद्ध अंतर्गतधारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं01959

महोदय,

निगरानीकर्ताकी विनय सादर प्रस्तुत है।

1. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता क्र. 1लगायत 3 के द्वारा एकआवेदन अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ के यहां धारा32 म.प्र. भूमि रा.सं. 1959 का प्रस्तुत कर अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागावंधसान के प्र0क्र 042/अ-19॥4॥/95-96 मे पारित आदेश दिनांक 25/7/96 मे जारी प्रारूप "ग" मे अंकित प्रश्नाधीन भूमि कुल क्र.8 रकवा 5.888हे0 को वर्ष 95-96 से 99-2000के खसरा मे दर्ज होने के पश्चात वर्ष 2001-से 2013 तक इन्द्राजी छूट जाने के कारण उसे दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया था उक्त आवेदन पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार बड़ागव से प्रतिवेदन मंगाया और उन्होने प्र0क्र042/अ-19॥4॥95-96 जो रामदास तनयबहोरा अहिरवार निवासी राशन खेरा के नाम से दायरा रजिस्टर मे दर्ज होना बताया इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रति निगराकार क्र.1 लगा 3 जो अधीनस्थ - न्यायालय मे आवेदक थे उनका आवेदन निरस्त कर दिया जिसे निगरानीकर्ता की शासन हित मे स्वीकार करता है परंतु माननीय अधनीस्थ पीठासीन अधिकारी ने इस कार्यवाही मे तत्समय के पटवारी जो निगरानीकर्ता स्वयं था उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना उसे प्रकरण को अतिरिक्त तहसीलदार बड़ागांव को -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3044-एक/2016 जिला टीकमगढ़ बृजेश विरूद्ध मलके व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 74/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-07-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 08/01/2019
सदस्य